

31-10-19

पत्रावली पेश हुई | वकील अपीलानं 2 उप
पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलानं 2
निर्णय दि. 9-9-2019 अंतरिम आदेश है,
जिसमें आगामी पेशी पर प्रतिवादी अपीलानं 2
को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया
गया है | परन्तु प्रतिवादी अपीलानं 2 ने नए
-माशालय में जवाब प्रस्तुत न करके
सी.पी.सी. ही अपील में आ गये, जिसे
-आयोजित नहीं कहा जा सकता इसी
स्थिति में हम प्रतिवादी अपीलानं 2 से जवाब
लेकर सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार
निर्धारित समयवधि में धारा 212 R.T.
के प्रा.पत्र निस्तारण करने हेतु अधिनस्थ
-माशालय को निर्देशित किया जाना आय-
संगत समझते हैं |

अतः आदेश है कि अपील अपीलानं 2
आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नए
अदालत को निर्देशित किया जाता है
कि वो प्रतिवादी अपीलानं 2 से जवाब


म. प्रवक्ता अधिकारी एवं पदेन
राजस्थान अपील अधिकारी, अलावर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
-------------	--------------------

लिट्टा उग्रसिंह को सुनने हुए चारा
212 R.T. सख्त के प्रा. पत्र का निस्त्राण
आदेश 39 नियम 3 के C.P.C. में दिये
गये समयबद्धि में करें। अपील को
निर्दिष्ट किया जाता है कि जो वास्त
सुनवाई हेतु न्यायालय में नियत दिनांक
को पैश हो।

निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली कैसल कुमार हो


31/10/19
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर